



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद्र 29, 1941

No. 3121]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2019

**(आय-कर)**

**का.आ. 3427(अ).**—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194ड के परंतुक के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात्, कमीशन अभिकर्ता या व्यापारी विनिर्दिष्ट करती है जो कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) के अधीन क्रियाशील है और संबद्ध राज्य के कृषि उपज बाजार से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, जिसने बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसायटी अथवा डाकघर को उसकी खाता संख्या, उसकी स्थायी खाता संख्या (पैन) और पूर्ववर्ती वर्ष के ब्यौरों के साथ सूचित की है जिसके माध्यम से वह पूर्ववर्ती वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक नकद की निकासी करना चाहता है तथा बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसायटी अथवा डाकघर को यह प्रमाणित किया है कि पिछले वर्ष के दौरान खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी किसानों को कृषि उत्पादों की खरीद के लेखें संदाय करने के प्रयोजन के लिए की गई है और बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसायटी अथवा डाकघर ने यह सुनिश्चित किया है कि उत्कथित पैन सही है और कमीशन अभिकर्ता या व्यापारी एपीएमसी के साथ रजिस्ट्रीकृत है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किया गया है और अभिलेख पर रख दिया गया है।

2. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2019 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 70 /2019/फा. सं. 370142/12/2019-टीपीएल (भाग- 1)]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

**स्पष्टीकारक ज्ञापन :** यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।